प्रेस विज्ञप्ति
06.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 5(1) के तहत दिनांक 04.02.2026 को अनंतिम कुर्की आदेश संख्या 05/2026 जारी किया है, जिसके तहत केरल के कोल्लम जिले में स्थित लगभग 40.48 लाख रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। ये संपत्तियां जयप्रकाश जे और श्रीमती श्रीजा जयप्रकाश के नाम पर पंजीकृत हैं।

यह मामला सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, पथानामथिट्टा द्वारा जे. जयप्रकाश (नीलाक्कल देवस्वोम बोर्ड के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी) और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित है। आरोप है कि 2018-19 में मंडल मकरविलक्कु उत्सव के दौरान, मेसर्स जेपी ट्रेडर्स के नाम पर जाली बिल और इनवॉइस बनाए गए, जिसके परिणामस्वरूप देवास्वोम फंड से 59,98,029 रुपये स्वीकृत किए गए। इनमें से केवल 8,20,935 रुपये का एक चेक ही वैध रूप से वास्तविक आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया। शेष तीन चेक धोखाधड़ी से भुनाए गए, जिसके परिणामस्वरूप सह-आरोपी की सहायता से 51,77,194 रुपये का गबन हुआ।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित 13(1)(क) के तहत अपराध अनुसूचित अपराध हैं, जिनका उल्लेख एफआईआर में किया गया था, इसलिए पीएमएलए के तहत जांच शुरू की गई। जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच मेसर्स जेपी ट्रेडर्स के मालिक सहित प्रमुख व्यक्तियों, गवाहों और आरोपी अधिकारियों से पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज किए गए। संबंधित बैंक स्टेटमेंट और चेक विवरण भी एकत्र किए गए। जांच में पता चला कि अपराध से प्राप्त 51,77,194 रुपये में से जयप्रकाश बी को 11,28,922 रुपये मिले हैं और शेष 40,48,272 रुपये जयप्रकाश जे के पास हैं।

आगे की जांच जारी है।